बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./42/एसएलबीसी/जून 2016/ 442 02.12.2016

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की जून 2016 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त जून 2016 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 20.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(राजीव श्रीवास्तव)
सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई–मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की जून 2016 तिमाही की दिनांक 20.09.2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की जून 2016 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 20.09.2016 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री प्रदीप भटनागर, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन; श्री पी. के. मोहंती, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (पशुधन), उ.प्र. शासन; श्री अखिलेश कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), उ.प्र. शासन; श्री आर. पी. सिंह, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि., उ.प्र. शासन; श्री एस. के. वर्मा, उपमहाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक; श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड; श्री गौतम सेन गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा- निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में -571- नई ब्रिक एवं मोर्टार शाखाओं (5000 एवं इससे अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे गाँव जहाँ कोई भी या ग्रामीण बैंक की शाखा नहीं है) के विस्तार हेतु रोडमैप तैयार किया गया हैं। बैंको द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अभी तक इस रोडमैप के अंतर्गत कुल -11- नई बैंक शाखाएँ स्थापित की गयी है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। साथ ही अनेक चयनित केन्द्रों पर बैंक शाखाएँ खोल पाने में कई बैंको द्वारा असमर्थता प्रकट की जा रही है। जिसके लिए सदन में चर्चा एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की आवश्यकता होगी। इसी क्रम में, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिनांक 14.09.2016 को प्रतापगढ़ जनपद के भागेसरा ग्राम में पहली **Digital Portable Branch** की स्थापना से सदन को अवगत कराया। इस शाखा में **State-of-the art Digital Technology** का पूर्णतः उपयोग किया गया है। सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के इस प्रयास की काफी सराहना की गयी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 05.09.2016 से 09.09.2016 तक "वित्तीय समावेशन समारोह" का आयोजन किया गया। विभिन्न सत्रों में बैंक मित्रों व अन्य स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलूओं यथा – रूपेकार्ड एक्टीवेशन, आधार सीडिंग आदि पर वृहत चर्चा की गयी। प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत खुले समस्त जीरो बैलेंस खातो में धनराशि जमा कराने हेतु प्रयास करने होंगे। केन्द्रीय सिविल पेंशनर के समस्त खातों में शतप्रतिशत आधार सीडिंग भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है जैसा कि भारत सरकार द्वारा आवश्यकता महसूस की गयी है।
- चालू वित्तीय वर्ष हेतु सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त समस्त लक्ष्य जो बैंको/ अग्रणी जनपदों को प्रेषित किये गये है उनके आधार पर सभी बैंक उनकी प्राप्ति हेतु समयबद्ध योजना के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस क्रम में विगत 20.08.2016 को संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाराणसी में "मुद्रा एवं स्टैण्ड अप इण्डिया" योजनाओं की सघन समीक्षा की गयी थी जिसमें आवश्यक प्रगति लाने हेतु बैंको को निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की विभिन्न योजनाओं के क्रियांवयन हेतु सिर्फ वितरित धनराशि के लक्ष्य वित्त मंत्रालय द्वारा प्रेषित किये गये हैं। बैंकर्स द्वारा इस

योजना की शत- प्रतिशत पूर्ति हेतु योजनाबद्ध रूप से कार्य करना होगा। इसी के साथ स्टैण्ड अप इण्डिया के अंतर्गत प्रति बैंक शाखा न्यूनतम -2- खाते खोलना लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ सुरक्षा योजनाओं की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भी बेहतर कार्य निष्पादन करना होगा। इसी क्रम में सदन को बताया गया कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है।

- प्रदेश सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजनाओं के सन्दर्भ में सदन को अवगत कराया गया कि बैंकर्स द्वारा दुग्ध व कुक्कुट विकास की इन सभी योजनाओं में काफी सराहनीय कार्य किया गया है जिसको प्रदेश शासन द्वारा भी सराहा गया है। इसी क्रम में यह भी उल्लेख किया गया कि इन योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषित सभी मामलों में बैंकर्स द्वारा **Interest Subsidy** के ससमय क्लेम्स सम्बन्धित विभागों को प्रेषित कर राज्य सरकार से वांछित धनराशि प्राप्त कर ली जाये ताकि ये खाते **NPA** होने से बचे रहें।
- समस्त बैंकर्स द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के क्रियांवयन की दिशा में समग्र प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में केन्द्रीय सिविल पेंशनर्स के खातों में आधार सीडिंग का प्रतिशत लगभग 75.23% हैं जिसकी सराहना संयुक्त सचिव, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा की गयी है। साथ ही साथ भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन की पहल से एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसके अंतर्गत मनरेगा खाता धारको के खातों में आधार सीडिंग कराने हेतु **consent forms** भरवा कर एकत्र किया गया जिसके अनुरूप उनके खातों में आधार सीडिंग करना प्रारम्भ कर दिया गया है। सदन को अवगत कराया गया कि आधार सीडिंग वर्तमान में बैंकर्स की शीर्ष प्राथमिकता बिन्दु है जिसमें सभी शाखाओं के साथ साथ बैंक मित्रों की सेवाऐं भी ली जा रही है तथा 100% आधार सीडिंग करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. से पुनः विशेष अनुरोध किया कि विभिन्न कैम्पों में एकत्र किये गये कंसेण्ट फार्म्स, जहाँ पर सीडिंग की कार्यवाही अपेक्षित है, की जनपदवार सूची बैंको को उपलब्ध करा दें।
- मुद्रा योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने सदन को अवगत कराया कि इस योजना के अंतर्गत केवल वित्तीय लक्ष्य प्रदान किये गये हैं और प्रदेश में परिलक्षित प्रगति अभी भी संतोषजनक नहीं है, अतः इस दिशा में मिलकर संयुक्त प्रयास करना होगा तभी प्रदत्त लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी। स्टैण्ड अप इण्डिया के अंतर्गत न्यूनतम -2- खातों मे वित्त पोषण हेतु भी आवश्यक प्रयास किये जाये।
- बैंक मित्रों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया कि इनकी सहायता से बैंको में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री जन- धन योजना एवं अन्य सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा शासन स्तर पर निरंतर की जाती है, अतः सभी बैंकर्स से अनुरोध किया कि इस दिशा में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे प्रयास किये जाये।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सदन को अवगत कराया गया कि बैंकर्स द्वारा सभी पात्र मामलों में **Insurance Coverage** की कार्यवाही की जा रही है और योजना के क्रियांवयन से सम्बन्धित समय समय पर संशोधनो का अनुपालन बैंकर्स द्वारा किया जा रहा है।

अपने स्वागत सम्बोधन के अंत में उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से इन योजनाओं के सफल क्रियांवयन हेतु अनुरोध किया एवं एस.एल.बी.सी. से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं व विवरणियों के सही व ससमय प्रेषण करने की आवश्यकता बतायी।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का अभिवादन किया एवं प्रदेश में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों व सफलता हेतु सभी हितधारकों के सहयोग की प्रशंसा की। प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण

पहलूओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसी क्रम में उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदेश में आर्थिक विकास की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है जिसमें बढोत्तरी के लिए समग्र प्रयास करना आवश्यक है।

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि इस तिमीही जी.डी.पी. का प्रतिशत पिछले वर्ष की समान अवधि में अपेक्षाकृत कम रहा है। इसके बावजूद भारत में वृद्धि की दर अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बढ़ रही है क्योंकि बाजार से वित्त पोषण सीधे कम्पनियों को प्राप्त हो जा रहा है।
- विगत 2 वर्षों से लगातार पड़ रहे सूखे के पश्चात प्रदेश में हुई सामान्य वर्षा के कारण चालू वित्तीय वर्ष में रबी एवं खरीफ फसलों व कुल कृषि क्षेत्र में वृद्धि सम्भावित होगी।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, ऐसे युवा जो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें प्राथमिकता प्रदान करते हुए अधिक से अधिक वित्त पोषण किया जाये।
- कृषि क्षेत्र में वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगना करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें क्योंकि कृषि हमारा प्रमुख क्षेत्र है। इस क्षेत्र की वृद्धि हेतु कृषको को प्रशिक्षण के माध्यम एवं अधिकतम वित्त पोषण करने हेतु निर्देश जारी किये जायें। बीमा कम्पनियों से भी अनुरोध है कि वे अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से मार्केटिंग करें ताकि वे कृषकों के हित में बेहतर रूप में कार्य कर सके। कृषको को आपूर्ति करने वाली बीज कम्पनियाँ बीजों की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए उत्तम श्रेणी के बीजो की आपूर्ति करें। इसी प्रकार उर्वरक निर्माता कम्पनियाँ भी उचित दर पर खाद व उर्वरक की आपूर्ति कृषकों को करना सुनिश्चित करें।
- गाँवो में **farm equipments** के आऊटलेट्स खोले जाएं जिससे कृषकों को होने वाली खेती की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। इसी के साथ कृषि स्नातकों को कृषि संसाधन संयत्रों की महत्ता बताते हुए उन्हें इस व्यवसाय हेतु वित्त पोषित किये जाने पर बैंको द्वारा विचार किया जाये।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस योजना से आच्छादित किया जाना अति आवश्यक है।
- इसी के साथ प्रदेश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खुले खातों में आधार सीडिंग का प्रतिशत बढाना आवश्यक है। विषेशकर कृषकों के खातों में 100% आधार सीडिंग करना सुनिश्चित किया जाए ताकि **DBT** के माध्यम से कृषकों को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके कई बैंक खाते है, उनके खातों को आधार संख्या से जोड़ना अति आवश्यक है जिससे डी.बी.टी.के माध्यम से मिलने वाले लाभ इन खातों के माध्यम से ही प्राप्त हो सके।
- इसी क्रम में उन्होंने मोबाइल बैंकिंग की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए समाज के विभिन्न वर्गो व विशेषकर कृषकों द्वारा इसका उपयोग बढ़ाये जाने पर ज़ोर दिया।

अपने संक्षिप्त अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए प्रमुख मुद्दों के साथ साथ बैंकिंग में नयी तकनीक की महत्ता एवं उपयोगिता का उल्लेख किया एवं राज्य सरकार के सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री प्रदीप भटनागर, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त, उ. प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में सदन को अवगत कराया कि यह उनकी पहली एस.एल.बी.सी. मीटिंग है उन्होंने बैंकर्स व शासकीय विभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रगति व समस्याओं पर चर्चा की है। देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियांवयन पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने सदन को

अवगत कराया कि इन योजनाओं के अंतर्गत डिफाल्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है इस कारण इन योजनाओं का लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है। परंतु इसी दायरे में हमें कार्य करना होगा। बैंको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के प्रयोग पर बैंकर्स को बधाई देते हुए उन्होंने बताया कि यह एक प्रकार से **Home Delivery** का कार्य है जो बैंकिग सुविधायें घर- घर पहुँचाने का प्रयास है। इसके लिए उन्होंने प्रयोग करने वाले बैंकर्स को बधाई दी। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रदेश में स्थापित प्रथम **Digital Portable Branch** की सराहना करते हुए उन्होंने बैंको द्वारा तकनीकी विकास की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को अन्य एजेंसीज द्वारा भी अपनाये जाने पर बल दिया। इसी क्रम में उन्होंने कृषकों की आय को दुगुना करने सम्बन्धी भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की सराहना की एवं फार्म सेक्टर को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। इस सेक्टर में वित्त पोषण अभी 15% से 18% तक ही है जिसे बढाने की आवश्यकता है। सभी बैंको को फसली ऋण के साथ साथ टर्म लोन का प्रतिशत बढ़ाने हेतु योजनाबद्ध रूप से कार्य योजना तैयार करनी होगी जिसका क्रमबद्ध क्रियांवयन किया जा सके।

अपने सम्बोधन के अंत में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने पुनः सभी बैंकर्स से सहयोग की अपेक्षा की और कृषि क्षेत्र में नये प्रयोग करते हुए वित्त पोषण की आवश्यकता बताई।

श्री एस. के. वर्मा, उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला –

- एस.एल.बी.सी. के कार्य क्षेत्र व प्रणाली को महत्त्वपूर्ण बताते हुए उन्होनें बताया कि विगत कुछ वर्षो से इसका महत्त्व बढ़ गया है। प्रदेश में ऋण जमा अनुपात लगभग 52% के आस- पास है जो विगत 2-3 वर्षों से स्थिर है। इसको बढ़ाने हेतु सभी स्टेक होल्डर्स को मिल जुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। हाँलाकि इस योजना हेतु यूनियन बैंक की संयोजकता में एक उप समिति का गठन किया गया है जिसके द्वारा एक सम्मिलित प्रयास करते हुए आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।
- सभी बैंकर्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें और विभिन्न विवरणियों एवं आँकड़ो का ससमय से प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक को करने की व्यवस्था करें।
- बैंक शाखाओं में कनेक्टिविटी के मुद्दे पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार तैयार रोडमैप के अनुसार -571- शाखाएँ खोलने के लक्ष्य को मार्च 2017 तक पूरा कराने हेतु बैंकर्स आवश्यक कार्यवाही करें क्योंकि अभी तक प्रगति असंतोषजनक रही है।
- सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों को अपने अपने जिलों में शासकीय योजनाओं के आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बी.सी. को होने वाले कनेक्टिवी मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए दूरसंचार कम्पनियों से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया।

श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला-

- कृषकों की आय को दुगना करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। नाबार्ड द्वारा इस दिशा में समग्र प्रयास किये जा रहे है तथा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
- प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इस समय सिंचाई की -4- परियोजनाएँ चल रही है जो एक दीर्घ अवधि की सिंचाई योजना है जिसका लाभ भविष्य में कृषकों को प्राप्त होगा।

- कनेक्टीविटी के मुद्दे पर उन्होंने सदन को अवगत कराया कि इस समस्या से निजात पाने के लिए V–Sat व सोलर पम्प का उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए नाबार्ड द्वारा वित्तीय समावेशन का एक फण्ड भी बनाया गया है।

अपने सम्बोधन के अंत में उन्होंने पुनः कृषकों के हितों के लिए नाबार्ड द्वारा हर सम्भव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी -

कार्यसूची संख्या – 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 10.06.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विगत बैठक दिनांक 10.06.2016 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 30.08.2016 को प्रेषित किया गया था, की सदस्यों द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या – 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 10.06.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर – सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन :

सदन को अवगत कराया गया कि पंजाब नेशनल बैंक के समन्वय में दिनांक 15.09.2016 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की बैठक में इस विषयक विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि हापुड़, शामली और सम्भल में नयी आर-सेटी की स्थापना हेतु सम्बन्धित बैंको एवं ग्रामीण विकास विभाग, उ.प्र. द्वारा ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार के साथ प्रकरण को लिया गया है तथा वहाँ से निर्णय प्रतीक्षित है। सहर्ष अवगत कराया गया कि बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु नोडल एजेंसी द्वारा क्लेम सेटलमेंट की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

2. प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों हेतु स्टैम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान :

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र. से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय पर राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा असहमति व्यक्त कर दी गयी है।

विस्तृत चर्चा के उपरांत यह तय किया गया कि नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान में प्रभावी निर्देशों के अनुरूप ही स्टाम्प शुल्क बैंको द्वारा लिया जाना चाहिए।

3. एल.बी.एस. - एम.आई.एस. I, II, III एवं अन्य विवरणियों के माध्यम से सुसंगत आँकड़ो का ससमय प्रेषण एवं एक **Dedicated Nodal Officer** को नामित किया जाना:

सदन को अवगत कराया गया कि इस मुद्दे पर बैंको द्वारा काफी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है तथा अधिकांश बैंको ने **Dedicated Nodal Officer** नामित कर दिये है। साथ ही साथ विवरणियों के प्रेषण इत्यादि में भी सुधार हो रहा है परंतु ससमय एवं गुणात्मक विवरणियों की निरंतर उपलब्धता एवं आवश्यकता रहती है अतः बैंको द्वारा और सजग प्रभावी कार्यवाही का अनुरोध है।

4. प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं सक्रियकरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में आधार संख्या की सीडिंग करना :

सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत खुले खातों में जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं उनके सक्रियकरण में अपेक्षाकृत प्रगति परिलक्षित हो रही है।

इसी क्रम में सदन को यह भी बताया गया कि विभिन्न बैंको द्वारा इस कार्य हेतु विशेष कैम्प लगाये जा रहे है और इन कैम्प्स में लाभार्थियों को उनके खातों में आधार सीडिंग एवं रूपे कार्ड एक्टिवेशन हेतु भी जागरूक किया जा रहा है।

कार्यसूची संख्या – 3

वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन

क) प्रधानमंत्री जन –धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा लागू इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा नियमित रूप से विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। प्रदेश में योजनांतर्गत खुले समस्त पात्र खातों में रूपे कार्ड जारी करने की दिशा में बैंको द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है परन्तु अनेक मामलों में इन जारी कार्डस को उनके धारको तक विभिन्न कारणोंवश नही पहुँचाया जा सका है। अतः रूपे कार्डस के प्रेषण के बारे में बैंकर्स को सुनियोजित ढंग से कार्य करना आवश्यक है। इसके साथ ही कार्ड धारक को रूपे कार्ड के एक्टिवेशन के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे -90- दिन के अन्दर वे अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सके तभी इसका लाभ खाता धारक को मिल सकता है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने सदन में बताया कि अभी भी जारी होने वाले कार्ड की संख्या बहुत कम है।

सदन में विषयक चर्चा के दौरान बताया गया कि इन काड्र्स के वितरण, पिन वितरण, एवं एक्टिवेशन हेतु विशेष कैम्प्स लगाकर मिशन मोड में इन कार्यों का निष्पादन बैंको द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है।

इसी क्रम में प्रदेश में कार्यरत बैंक मित्रों (Business Correspondents) की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गयी। बैंक मित्रों को भुगतान किये जाने वाले Incentive के बारे में सदन को बताया गया कि विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु बैंको द्वारा अपनी नीति निर्देशों के अंतर्गत उन्हें रू 5/- से रू 10/- तक प्रति ट्रांसेक्शन भुगतान किया जा रहा है जिससे उन्हें आर्थिक निर्भरता भी प्राप्त हो रही हैं। बैंक मित्रों को Hand Held Devices, आधार एवं अन्य भुगतान प्रणाली के अतर्गत कार्य करने वाले उपकरणों का वितरण कर उनके उपयोग व तकनीकी पहलुओं से भी लगातार अवगत करा दिया जाये जिससे उन्हें कार्य करने में असुविधा न महसूस हो।

आधार सीडिंग के प्रकरण पर सदन को बताया गया कि अभी भी अन्य प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में आधार सीडिंग का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम लगभग 40% ही है। इसके सापेक्ष मनरेगा श्रमिकों के खातों में आधार सीडिंग का प्रतिशत लगभग 70% है जो अपेक्षाकृत बेहतर है।

ख) सुरक्षा योजनाओं का क्रियांवयन -

भारत सरकार द्वारा उदघोषित दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" व "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त क्लेम्स की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा सभी लम्बित क्लेम्स का त्वरित निस्तारण करने हेतु बीमा कम्पनियों से अनुरोध किया गया। इसी क्रम में "अटल पेंशन योजना" की प्रगति पर भी विचार विमर्श किया गया व अवगत कराया गया कि प्रदेश में इस योजनांतर्गत अपेक्षाकृत

बेहतर कार्य हुआ है और अभी भी इस दिशा में बेहत कार्य निष्पादन हेतु प्रयास किये जा रहे है। योजनांतर्गत हमारा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर बना हुआ है।

ग) -2000- से अधिक व -2000- से कम आबादी वाले गाँवों का बैंकिंग सुविधा हेतु आच्छादन-

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश में बैंको द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत सक्रिय रूप में कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदत्त लक्ष्य -16270- के सापेक्ष कुल -16388- गाँव इस सुविधा से आच्छादित हो गये है। इसी क्रम में -2000- से कम आबादी वाले गाँवों में चयनित -76,855- गाँवों मे से -72,274- गाँवों में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। श्री एस.के.वर्मा, उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अभी भी इस योजना में लगभग 5% का गैप है जिसे पूरा करना आवश्यक है। अनेक स्थानों पर ब्रिक एवं मोर्टार शाखाएँ खोलने की आवश्यकता बतायी गयी। कुछ ग्रामीण बैंको सहित विभिन्न बैंको ने एन.पी.ए. का स्तर अधिक व अन्य कारणों से चयनित केन्द्रों पर अपनी बैंक की शाखा खोलने में असमर्थता जताई तथा ऐसे स्थानों पर बैंक शाखा खोलने के लिए बैंको का पुनर्रावंटन किया जाने का सुझाव दिया।
श्री एस.के. वर्मा द्वारा कहा गया कि इन केन्द्रों के विषय में अलग से चर्चा कर ली जाये परंतु अन्य सभी केन्द्रों पर बैंको द्वारा शाखा खोलने सम्बन्धित कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न की जाये।

श्री ए.के. चौहान, सहायक निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा महानिदेशालय, उ.प्र. शासन, लखनऊ ने भी इस प्रकरण पर राज्य सरकार की चिंता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अनेक बैंको द्वारा चयनित केन्द्रो पर शाखाएँ खोलने में असमर्थता जताई जा रही है और ऐसे सन्दर्भों को विभिन्न स्तरों पर प्रेषित भी किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मुद्दे पर प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध करते हुए बैंको को आवश्यक दिशा- निर्देश निर्गत करने हेतु अनुरोध किया ताकि शाखा विस्तार कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई समस्या न रहें।

घ) स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम -

सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के विद्यार्थियों के मध्य वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय जागरूकता का प्रसार करने हेतु भारतीय बैंक संघ ने इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी। जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को कम से कम -1- स्कूल को गोद लेना है और उस विद्यालय के विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है। इस कार्यक्रम की समेकित रिपोर्ट भी सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार कुल -9644- स्कूलों को बैंक शाखाओं द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा इसके अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग -318506- विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया एवं वित्तीय साक्षरता से अवगत कराया गया।

च) कौशल विकास केन्द्रों की वित्तीय साक्षरता केन्द्र से मैपिंग -

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर एस.एल.बी.सी. द्वारा कौशल विकास केन्द्रों को -75- वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (जो अग्रणी जिलों में कार्यरत है) के साथ मैप कर कार्य योजना तैयार की गयी है। इन केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये है।

छ) जन- धन शिक्षा कार्यक्रम:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में बैंको द्वारा कुल -100- विद्यालयों को अंगीकृत कर वित्तीय साक्षरता से उन स्कूल के विद्यार्थियों को जागरूक करना है। अभी तक समस्त बैंको द्वारा प्रदेश में

कुल -7814- स्कूलो को अंगीकृत कर कुल -3435- प्रशिक्षण सेशन में कुल -154165- प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ज) पेंशनर खातों में आधार सीडिंग:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंको में कैम्प लगाकर उनके पेंशनर के खातों में आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाये। सदन को अवगत कराया गया कि बैंको द्वारा अभी तक लगभग 75% खातों में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

ज) वित्तीय समावेशन के अन्य मुद्दे:

वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों की गहन समीक्षा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर की जा रही है। इस सम्बन्ध में मीटिंग्स, विडियो कांफ्रेंस आदि के माध्यम से समीक्षा बैठक की जाती है जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाती है। इन चर्चा के दौरान निम्न प्रमुख बिन्दु उभर कर सामने आये है:

- सभी खाता धारको को रूपे कार्डस व पिन की उपलब्धता प्रदान करना और उन्हें सक्रिय करना।
- शून्य धन राशि वाले सभी खातों मे धनराशि जमा करवाना।
- समस्त बीमा उत्पाद एवं पेंशन उत्पाद योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा किया जाना।
- आधार सीडिंग के परिपेक्ष्य में बैंको द्वारा अपने सभी खातों में शत प्रतिशत सीडिंग सुनिश्चित किया जाना।
- मनरेगा श्रमिकों के समस्त खातों में आधार सीडिंग को सुनिश्चित किया जाना क्योंकि इनके खाते सरकारी लाभों से जुड़े हुए है।

कार्यसूची संख्या – 4

(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियांवयन)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सहायता पहुँचाना है जो कार्यशील पूँजी और टर्म लोन के रूप में होती है। इस योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को बुनकर क्रेडिट कार्ड के रूप में वित्त पोषण किया जाता है। इस सन्दर्भ में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा निर्देश प्रेषित किये गये है जिसके अनुसार हथकरघा क्षेत्र का वित्त पोषण मुद्रा योजना के अंतर्गत समावेशित किया जाये। प्रदेश में -7- हथकरघा क्लस्टर चिन्हित किये गये हैं और वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए क्लस्टरवार एवं बैंकवार कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश चिन्हित बैंको द्वारा प्रेषित करने हेतु सदन को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के क्रियांवयन एवं मूल्यांकन हेतु एस.एल.बी.सी. की एक सब कमेटी सिंडीकेट बैंक के समंवयन मे गठित है जिसकी नियमित बैठके आयोजित कर प्रगति समीक्षा की जाती है।

कार्यसूची संख्या – 5

(वार्षिक ऋण योजना 2016-17 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के अंतर्गत जून' 2016 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति से सदन को अवगत कराया गया जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत 21.98% रहा है। विभिन्न सेक्टरवार कृषि – 22.15%; लघु उद्यम- 31.03% एवं सेवा क्षेत्र- 11.42% की उपलब्धि रही है।

सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत समीक्षा अवधि में समग्र रूप से ऋण वितरण का प्रतिशत विगत वर्ष के सापेक्ष ₹ 9129.09 करोड़ (32.74%) अधिक हुआ है।

कृषि क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में भी वितरण का प्रतिशत समग्र रूप से विगत अवधि के प्रतिशत से बढ़ा हुआ है। इसी क्रम में समस्त सदस्य बैंको से अनुरोध किया गया कि वे अग्रणी जिलों से सम्बन्धित समस्य आँकड़ो के समेकन हेतु **LBS MIS I, II & III** का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करना सुनिश्चित करें ताकि एस.एल.बी.सी. द्वारा समेकित आंकड़ो का ससमय प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय व अन्य एजेंसीज को निर्धारित समयावधि पर किया जा सके।

इसी क्रम में नाबार्ड द्वारा प्रति परियोजना, ईकाई लागत **(Unit Cost, per project)** पर भी चर्चा की गयी। प्रदेश में कामधेनु योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा वित्त पोषण किये जाने पर वृहत चर्चा की गयी। प्रदेश सरकार की यह एक महत्वकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत बैंको द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। इस क्रम में सदन में यह भी चर्चा की गयी कि इस योजनांतर्गत भैसों की खरीद हेतु उनका मूल्य निर्धारण व परियोजना लागत **Unit Cost** से ज्यादा न किया जाये। इसके अंतर्गत **Interest Subvention** भी इसी क्रम में किया जाये। सम्बद्ध विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कामधेनु योजनांतर्गत लक्ष्य पूरे हो गये हैं। परंतु अभी भी स्वीकृत ऋण राशि का पूर्ण वितरण नही हो पाया है। इसी क्रम में सदन में इस बात पर चर्चा की गयी कि पशुओं की खरीद स्थानीय या प्रदेश स्तर पर ही की जाये क्योंकि अभी ये पशु हरियाणा व पंजाब से क्रय कर भेजे जाते है जिसमें व्यावहारिक व्यवधान आते हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता बताई गयी।

<u>कार्यसूची संख्या – 6</u>

<u>(ऋण जमा अनुपात)</u>

प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात **(CD Ratio)** पर विस्तृत चर्चा हुई और इसे बढ़ाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर विचार किया गया। क्योंकि बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जून 2015 के सापेक्ष जून 2016 में ऋण जमा अनुपात में 0.83% का ह्रास परिलक्षित हुआ है। इसी क्रम में -14- ऐसे जिले है जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है, में भी इसे बढ़ाने पर चर्चा की गयी।

सदन में इस बात पर चर्चा की गयी कि अनेक ऐसी इकाइयाँ जिनकी स्थापना जिलों में है परंतु उनका ऋण निर्धारण प्रदेश स्तर पर होता है। उस जनपद के कम ऋण जमा अनुपात का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यह अवगत कराया गया कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की समीक्षा हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की संयोजकता में एक उपसमिति गठित की गयी है जो इस योजना की समीक्षा करती है और जिसकी समीक्षा बैठक निरंतर होती रहती है।

प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की वृद्धि हेतु कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण एवं बड़े उद्यमों को वित्त पोषण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता बताई गयी।

प्रदेश में मुद्रा योजना में हाँलाकि वित्त पोषण हो रहा है परंतु इससे ऋण जमा अनुपात में वृद्धि सम्भव नहीं हो पायेगी।

इसी क्रम में निदेशक (कृषि), उ.प्र. शासन श्री ज्ञान सिंह द्वारा एग्रीजंक्शन योजना की चर्चा की गयी। उन बैंकों से आह्वान किया गया जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण 10.50% नहीं कर पाये है, वे इस योजना के अंतर्गत 10.50% की दर से वित्त पोषण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में इस योजना में लम्बित आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु चर्चा की गयी।

कार्यसूची संख्या – 7

(पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने हेतु प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों, जहाँ इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है, में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा विस्तृत समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि इस समीक्षा बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अवश्य सुनिश्चित करें जिससे सभी विभागों द्वारा सम्बन्धित प्रगति की सार्थक चर्चा की जा सके।

कार्यसूची संख्या – 8

(किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही तक प्रदेश में कुल 35 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष कुल 13.66 लाख किसानों को इस योजनांतर्गत आच्छादित किया गया है जिनमें कुल 10.21 लाख किसानों के किसान क्रेडिट कार्डस का नवीनीकरण किया गया है तथा कुल 3.44 लाख नये कार्ड, किसानों को जारी किये गये है। साथ ही साथ इस योजना में बीमा के दो भाग होते है जिसमें किसान का एक व्यक्तित्व बीमा एवं दूसरा दिये गये ऋण का बीमा होता है। इस प्रकार इस योजना को बीमा कम्पनियों द्वारा पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है।

निदेशक, कृषि साख्यिकी श्री वी. के. सिंह ने नयी "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के अंतर्गत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए सदन में उपस्थित समस्त बैंकर्स से आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ समस्त के.सी.सी. धारकों को पहुँचाये। इसी क्रम में सदन को यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समस्त आवेदन पत्र पोर्टल पर अपलोड कराने की प्रक्रिया बैंको व बीमा कम्पनियों द्वारा पूरी कर दी जाये। आगामी 01.10.2016 से रबी फसल हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया जायेगा जिसकी अंतिम तिथि 31.12.2016 निर्धारित की गयी है। प्रदेश में इस कार्य हेतु "एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया" -69- जिलों में व "आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड" -6- जिलों में कार्यरत हैं। इस कार्य की समीक्षा हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से निरंतर वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति का अवलोकन किया जा रहा है।

कार्यसूची संख्या – 9

(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में चर्चा की गयी। इस क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि सिडबी की **CGTMSE** क्षेत्र में वित्त पोषण कवरेज हेतु उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है। सदन में भारत सरकार की "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा सदन को बताया गया कि प्रदेश में इस योजना की प्रगति लगभग 17% रही।

इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ किये गये "स्टैण्ड अप इण्डिया" कार्यक्रम की चर्चा की गयी जिसमें प्रगति हेतु सघन प्रयास किये जा रहे है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एम.एस.एम.ई. सेक्टर में एक क्लस्टर – स्टडी की गयी थी जिसकी रिपोर्ट एस.एल.बी.सी. के माध्यम से दिनांक 01.08.2016 को समस्त बैंको को प्रेषित कर दी गयी थी और यह अनुरोध किया गया था कि रिपोर्ट में अंकित विभिन्न टिप्पणियों/ आपत्तियों को दूर कर सम्बन्धित लीड बैंक सीधे **RBI** को अवगत करायें। चर्चा के दौरान पुनः इस अनुरोध को दोहराया गया।

कार्यसूची संख्या – 10

(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

सदन को अवगत कराया गया कि कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंको की कुल ऋण वसूली की स्थिति में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सुधार हुआ है।

इसी क्रम में बैंक ऋण वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों व प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग की सदन द्वारा सराहना की गयी एवं और अधिक सहयोग का अनुरोध दोहराया गया।

कार्यसूची संख्या – 12

(अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

बैंको द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 22.38% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक से कहीं अधिक है।

कार्यसूची संख्या – 13

(स्वयं सहायता समूह)

बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की योजना नाबार्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं/ विभागों यथा राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उ.प्र. भूमि सुधार निगम लि. व यू. पी. डास्प इत्यादि के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। नाबार्ड के महाप्रबन्धक श्री ए. के. सिंह द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पिछले वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति में कमी के कारणवश इस वर्ष हेतु प्रदेश के वार्षिक लक्ष्य 50% कम कर दिये गये है। समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि वे स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज के कार्य में भरपूर सहयोग प्रदान करें। इस सन्दर्भ में महाप्रबन्धक महोदय ने नाबार्ड द्वारा सभी सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

कार्यसूची संख्या – 14

(विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – एन.आर.एल.एम."

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियांवयन प्रदेश के सभी -75- जनपदों एवं -122- चिन्हित विकास खण्डों में **Intensive** आधार पर किया जा रहा है। इस क्रम में नोडल विभाग द्वारा प्रगति से अवगत कराया गया एवं यह भी बताया गया कि योजनांतर्गत लक्ष्य विभिन्न बैंको को प्रेषित किये गये है। जिनकी पूर्ति हेतु समस्त सम्बद्ध से अनुरोध किया गया।

"आर- सेटी की स्थापना"

प्रदेश के -75- जिलों में बैंको द्वारा आर- सेटी के स्थापना की गयी है जिसमें -5- आर सेटी संस्थान विभिन्न बैंको द्वारा उनके नॉन लीड जनपद में खोले गये है। इस योजना की एक उप समिति पंजाब नेशनल बैंक की

संयोजकता में गठित है जिसकी नियमित बैठक की जा रही है और जिसमें योजना की निरंतर समीक्षा की जाती है।

"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन – एन.यू.एल.एम."

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी "सूडा" है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ्यार्थियों को भी वित्त पोषित करती है।

इस योजना के बैंकवार लक्ष्य समस्त बैंको को प्रेषित कर दिये गये है और इस योजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। इस क्रम में सूडा के प्रतिनिधि ने बैंको को प्रेषित लक्ष्यों से सदन को अवगत कराया एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंकर्स से अनुरोध है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना नोडल एजेंसी – 'के.वी.आई.सी.' के माध्यम से क्रियांवित की जा रही है। योजना के परिचालन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 से कतिपय संशोधन किये गये है जिसके दिशा- निर्देश एवं एजेंसीवार लक्ष्य एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त सम्बद्ध को अनुमोदन के पश्चात प्रेषित किये गये है। नोडल ऐजेंसी के श्री आर.एस. पाण्डेय, राज्य निदेशक ने सदन को अवगत कराया कि 01.07.2016 से योजना के आवेदन पत्र सभी दस्तावेजो के साथ विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं। इससे पूर्व के सभी अपलोड आवेदन पत्रों में अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं उनका निस्तारण कर संशोधित क्लेम फार्म्स अपलोड किया जाये जिससे मार्जिन मनी की धनराशि समस्त सम्बद्ध को प्राप्त हो सके। राज्य निदेशक, के.वी.आए.सी. एवं उप कार्यकारी अधिकारी, के.वी.आए.बी. द्वारा इस योजना के सफल क्रियांवयन हेतु अनुरोध किया गया।

"समाजवादी युवा रोजगार योजना"

उत्तर प्रदेश सरकार की यह भी एक अत्यंत महत्वाकान्क्षी योजना है जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा बेरोजगारों को उनके उद्यम लगाने हेतु एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्त पोषण एवं राज्यांश का प्रावधान रखा गया है। इस योजनांतर्गत 25% की लक्ष्य प्राप्ति की गयी है। लगभग 2756 आवेदन पत्र लम्बित है जिनके निस्तारण हेतु कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

विशेष समंवित योजना (एस.सी.पी.)

इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। सदन को अवगत कराया गया कि इस योजनांतर्गत 25% तक लक्ष्य प्राप्ति कर ली गयी है। अग्रिम प्रगति हेतु समस्त सम्बद्ध से अनुरोध किया गया।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से बैंको द्वारा पात्र व्यक्तियों को वित्त पोषण कराया जाता है। इस योजनांतर्गत किसी विशेष उत्पादक उद्यम को जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, उन्हें अपने उद्यम प्रारम्भ करने हेतु बैंको के माध्यम से वित्त पोषण कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान **(Interest Subsidy)** की धनराशि प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाती है। बैंको से पुनः अनुरोध किया गया कि वे लम्बित दावे सम्बन्धित विभाग को तुरंत प्रेषित करें जिससे उनकी धनराशि प्राप्त हो सके। नोडल विभाग के उप कार्यकारी निदेशक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अभी तक लगभग 17 करोड़ की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

कामधेनु/ मिनी कामधेनु/ माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना

दुग्ध विकास हेतु प्रदेश की यह एक महत्वाकाँक्षी योजना है जिसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. सरकार द्वारा भी की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया। सदन में चर्चा के दौरान नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों के वितरण में उचित व त्वरित कार्यवाही नही की जा रही है। इस हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि वे स्वीकृत ऋणों की धनराशि का वितरण अवश्य कर दें तभी ही इस योजना की सार्थकता सिद्ध होगी। यह भी अनुरोध किया गया कि लम्बित व न होने वाले आवेदन पत्रों को एक बार में ही वापस किया जाये। माइक्रो कामधेनु योजना एवं कुक्कुट विकास परियोजना के अंतर्गत बैंकर्स द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस योजना की चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया गया कि माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना से सम्बन्धित जो समस्याएँ आ रही है जिनका समाधान शीघ्र आवश्यक है। इसी क्रम में बैंकर्स द्वारा ऋण वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या – 15
(भारत सरकार की नवीन योजनाएँ)

(क) एग्रीक्लीनिक/ एग्रीबिजनेस केन्द्र –

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना की प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी।

(ख) ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट – सब्सिडी योजना –

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है। योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या – 16
(शैक्षिक ऋण)

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत प्रदेशवार लक्ष्यों की सूचना समस्त बैंको को प्रेषित की गयी है। साथ ही योजनांतर्गत त्रैमासांत जून 2016 तक की प्रगति से भी सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 17
(बैंको के विरूद्ध अपराधिक घटनाऐं)

चर्चा के दौरान सदन को बताया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान केवल एक घटना रिपोर्ट हुई है जिसकी प्राथमिक सूचना सम्बन्धित थाने मे दर्ज करा दी गयी है।

सम्बन्धित विभाग से सुरक्षा के विभिन्न मानदण्डों पर भी चर्चा की गयी।

कार्यसूची संख्या – 18

(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा)

"प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम"

सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा की गयी जिसका अखिल – भारतीय शुभारम्भ दिनांक 17.06.2015 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। सदन में इस योजना की रूपरेखा व अन्य मानदण्डों पर चर्चा की गयी। राष्ट्रीय आवास परिषद (NHB) के प्रतिनिधि ने सदन को इस योजना के विभिन्न पहलूओं से अवगत कराया।

इसी क्रम में बताया गया कि शासन स्तर पर इस योजना के विभिन्न मानदण्डों की समीक्षा की जा रही है। जिसके आधार पर इसे **Regular Agenda** के रूप में शामिल करने पर विचार किया जायेगा।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 20.09.2016 कार्य बिन्दु (Action Points)

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Allotment of minimum 1 Acre of land by the State Govt. to the Banks and setting up of R-SETIs in -3- remaining Districts of the State.	All Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -72- Districts so far. In -2- Districts viz. Ghaziabad and Agra, RUDSETIs are already functional. The allotment of land in District Sultanpur is yet to be finalized. However, in some of the districts where the land was identified/ allotted earlier, certain issues have cropped up subsequently due to which the physical possession, execution of MoU, lease deed and inturn construction of the building etc. could not commence. The district wise issues are being discussed on quarterly basis in the Sub- Committee Meetings under the Convenorship of Punjab National Bank. The detailed position also stands communicated to the Nodal Agency- UPSRLM for their necessary action & resolution of the issues concerned. Further, as per guidelines issued by MoRD, Govt. of India, it is informed that no funds will be released to any RSETI if the construction does not start on or before 30.06.2016. In view of the above mentioned facts, it becomes all the more necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made to be eligible for receipt of funds/grant from GoI after allotment of land by the State Govt. -2- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts viz. Punjab National Bank (Shamli) and Syndicate Bank (Sambhal & Hapur). It is informed by PNB & Syndicate Banks that necessary approval in this regard is yet to be received from MoRD, GoI, in spite of the regular followup.	As discussed during the Meetings, the State Govt. is requested to speed up the process for clearance of land allotment in all the Districts where certain issues are reported by the concerned banks and which require the State Govt. intervention. In view of the new guidelines issued by MoRD, it becomes all the more necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made for receipt of grant from GoI. All the Lead Banks are also requested to ensure that necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that RSETIs may start functioning in their own buildings. Both the Lead Banks i.e. PNB & Syndicate Bank are once again requested to follow up the matter with MoRD, GoI for setting up of RSETIs in their selected left out Districts. The State Govt. intervention with MoRD in this regard is also requested to yield the desired results at the earliest. (Action : Commissioner, Rural Development, GoUP & all Lead Banks)
2.	Distribution & Activation of RUPAY Cards issued under PMJDY & also Aadhaar Seeding in Bank Accounts of beneficiaries under various Govt. programmes	Under the PMJDY, the Banks in the State opened large number Bank Accounts which have been issued the RUPAY debit cards. However, it is observed that distribution of these cards and inturn their activation could not happen for various reasons. Further, the Govt. of India is emphasizing upon the Aadhaar Seeding in Bank accounts of the beneficiaries under various Govt. programs viz. MANREGA, Central Government Pensioners, DBT beneficiaries etc. However, the desired results are not forthcoming. Accordingly, the DFS, MoF, GoI & the State Govt. has initiative various steps and issued necessary instructions to the Banks to bring about marked improvement in the aforementioned areas including organizing special camps, field visits, taking services of the Business Corresponents etc. The Banks have	In view of the importance attached to these issues, the Banks are requested to continue their ongoing efforts more vigorously so as to achieve the desired goals. (Action: All Banks)

		taken all necessary steps in this direction for ensuring achievement of the desired results.	
3.	Opening of Brick & Mortar Branches of SCBs (including RRBs) in the villages having population of 5000 & above which are still not having a branch of SCBs (including RRBs) as per the Roadmap prepared by the Banks	In tune with, RBI's instruction vide letter no. FIDD.Co.LBS.BC.No.82/02.01.001/2015-16 dated 31.12.2015, a Roadmap was prepared in the State and -571- centres have been identified for opening of a new B & M Branch. This allocation exercise was finalized in concultation with all concerned and was approved by the respective DCCs in the District. The detailed modalities of this scheme had been communicated by SLBC to all concerned vide communication no. EUPZ/42/SLBC/Br. Expansion/129 dated 01.04.2016. It is worth mentioning that this task has to be completed by March 2017. The issue is being discussed at various forums on regular basis. During the Review Meeting of SLBC, the progress of opening -11- branches till Sept 2016 has not been appreciated and it is desired a thorugh review should be made in this regard.	All -31- Banks who have been allocated their share for opening of Branches are requested to initiate urgent suitable action so that the targets are achieved with in the set timelines. (Action: All -31- Banks)
4.	Completion of the saturation work of all -76855- villages having population less than -2000-	It is pertinent to mention that in tune with the Reserve Bank of India guidelines on financial inclusion -76,855- villages had been identified in the State for providing Banking outreach to the population in these villages by opening of branches, providing the Banking services through BC Model and through some other modes also. This exercise was to be completed by Banks by March 2016 but due to implementation of PMJDY, the deadline was preponed to August 2015. The allocation of such villages has been made to -35- Banks operating in the State. It is worth mentioning that under PMJDY our State has been declared as saturated by opening of Bank account of all households by March 2015. As such it is to be seen that with the opening of Bank account of all households in the State, Banks have saturated all villages having population less than -2000- also. Still it is observed from the data that -14- Banks viz. AUPGB, Andhra Bank, Axis Bank, Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Indian Oversease Bank, Purvanchal Chetriya Gramin Bank, State Bank of Patiyala, Nanital Bank Ltd., Union Bank of India and Vijaya Bank are showing some gaps in the periodical data being submitted by them. These Banks are being constantly contacted by SLBC also for correct reporting of the data.	The Banks concerned are advised to act accordingly and ensure that the inconsistency of data is correctly reported with nill pendency. (Action: Concerned Banks)

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 20.09.2016

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Managing Director & Chief Executive Officer	Shri P S Jayakumar		
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri Prabhat Agarwal	0522-6677607	zm.upu@bankofbaroda.com
3				General Manager	Shri L M Asthana	9012601957	lmasthana@yahoo.co.in
4	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	No	Dy. General Manager	Shri S K Verma	8004921328	skverma1@rbi.org.in
5				Manager & LDO	Shri Amit Kumar	7081000188	alokranjan@rbi.org.in
6	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri A K Panda		
7				General Manager	Shri A K Singh	9819418150	lucknow@nabard.org
8	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Gautam Sengupta	7770956333	cgm.lholuc@sbi.co.in
9				General Manager	Shri Shreekant	8874498555	gm3.lholuc@sbi.co.in
10				Dy. General Manager	Shri Sanjay Mishra	7570082111	dgmabu1.lholuc@sbi.co.in
11				Asstt. General Manager	Shri S L Srivastava	9984867555	agmlb.lholuc@sbi.co.in
12	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri Arvind Kr. Dixit	8874320331	fgm.luc@allahabadbank.in
13				Senior Manager	Shri Raj Kumar Sharma	9415527540	fgmo.luc@allahabadbank.in
14	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri L D Rewatkar	9721777711	
15				Senior Manager	Shri Motilal	9918702102	
16	Syndicate Bank	Field General Manager	No	Asstt. General Manager	Shri M D Behera	9437035773	muralibehera19@gmail.com
17				Senior Manager	Shri Vijay Srivastava	8004912850	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
18	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Brajesh K Mohanty	9918003392	brajesh.mohnaty@bankofindia.co.in
19				Manager	Shri Gaurav Singh	9670854281	gaurav.singh@bankofindia.co.in
20	Central Bank of India	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri P K Mohanty	9918003392	dgm.luck20@centralbank.co.in
21				Chief Manager	Shri Anil Kumar	9918002151	rdluckzo@centralbank.co.in
22	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri A K Mishra	8173001098	anilmisra@pnb.co.in
23				Chief Manager	Shri V V Singh	9910818883	vvsingh@pnb.co.in
24				Officer	Shri Nand Kishore	8173000132	nandkishore@pnb.co.in
25	Canara Bank	Gen. Manager/ State Head	No	General Manager	Shri Pramod Kumar	9936406606	kumarpramod@canarabank.com
26				Manager	Shri Kirit Nagar	8948262477	afpscoluck@canarabank.com
27	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Sanjay Lade	7233002101	zolucknow@indianbank.co.in
28				Senior Manager	Shri Jalendra Singh	9598059588	jalendra.singh@indianbank.co.in
29	Dena Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Dy. Zonal Manager	Shri D S Parmar	9721459499	dinesh.parmar@denabank.co.in
30				Officer	Ms. Shubhangi	9792798344	rdd.lucknow@denabank.co.in
31	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Rajiv Rawat	9839066415	zm.lucknow@psb.co.in
32				Senior Manager	Shri Ganga Sagar	9918727606	zo.lucknow@psb.co.in
33	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Nagaraja Udupa	9984756222	udupa-nagaraja@corpbank.co.in
34	Andhra Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri V. Sambasiva Rao	8985294979	vssrao@andhrabank.co.in
35				Senior Manager	Smt. Aradhana Jyoti	7839218770	zoluck@andhrabank.co.in
36	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/State Head	No	Senior Regional Manager	Shri S K Sinha	9839010168	lob0814@iob.in
37				Shri Samir Tiwari	Senior Manager	9450365872	adv@luck.iobnet.in
38	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	No	Chief Manager	Shri Y P Bhatiya	8853099002	cmo_bb_bcup@obc.co.in
39				Senior Manager	Shri Arunendra Singh	7525021255	rural_lko@obc.co.in
40				Manager	Shri Ashish Pandey	8876648820	cmo_ff_ecup@obc.co.in
41	United Bank of India	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri K J Shorey	9935011116	crmlko@unitedbank.co.in
42	UCO Bank	Zonal Head	No	Asstt. General Manager	Shri R M Jodawat	9500196655	circleoffice.lucknow@ucobank.co.in
43				Senior Manager	Shri Vikash Sharma	9412103497	co.lucknow@ucobank.co.in
44	Vijaya Bank	Gen. Manager	No	Dy. General Manager	Shri N C Roy	9935057850	rorm@vijayabank.co.in

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
45				Senior Manager	Shri Kaushal Kumar Singh	7572024243	creditplucknow@vijayabank.co.in
46	Bank of Maharashtra	State Head	No	Dy. Zonal Manager	Shri R K Porwal	9041539430	dzmlucknow@mahabank.co.in
47	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Chief Manager	Shri Vijay Kumar Swamy	8800955396	agm2del@sbbj.co.in
48	State Bank of Hyderabad, Lucknow	Dy. General Manager	No	Chief Manager	Shri Binod Kumar	9966390539	(lucknow)@sbhyd.lucknow.co.in
49	State Bank of Patiala	Dy. General Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri R S Chauhan	7408603444	dgmllko@sbp.co.in
50	State Bank of Mysore	Dy. General Manager	No	No Participation			
51	State Bank of Travancore, Lucknow	State Head	No	Manager	Shri Surendra Kumar	8808055615	lucknow@sbt.co.in
52	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Mahendra Kumar	9559882999	gm@barodaup.rrb.co.in
53	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M N Patel	7408221111	chairman.augb@gmail.com
54	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	Yes	Chairman	Shri J S Ravi Kumar	7388800777	chairman.gba@gba-rrb.com
55				General Manager	Shri G K Srivastav	7388954557	gm1@gba-rrb.com
56				Senior Manager	Shri R P Kushwaha	7388899665	ho.advances@gba-rrb.com
57	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M S Arora	9837036728	msarora@prathmabank.org
58	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri A K Sinha	7571810001	chairmanpgb@gmail.com
59	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Anil Kumar Sharma	8130167878	anils2pnb.co.in
60	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri S C Gurumaite	8874701555	gmgraminkgsg@kgsgbank.co.in
61	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	Chief General Manager	Shri Ashok Dubey	9415164014	
62	Axis Bank	Circle Head	No	Senior Manager	Ms. Mitali Savant	9889016931	mitali.savant@axisbank.com
63	Bhartiya Mahila Bank	State Head	No	Sr. Branch Manager	Shri Arup Sarkar	9628033786	br.lucknow@bmb.co.in
64				Asstt. Manager	Shri Ankur Singh	8794718185	br.lucknow@bmb.co.in
65	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Dy. V.P. & Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9792330000	basant.kumar@hdfcbank.com
66	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Asstt. Vice President	Shri Amar Singh	7055101599	mahanagar@nainitalbank.co.in
67	IDBI Bank Ltd.	General Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Omkar Nath	9450162814	omkar,nath@idbi.co.in
68				Regional Coordinator	Shri Vaibhav Mishra	9415563950	vaibhav.mishra@idbi.co.in
69	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	SLBC Coordinator	Ms. Kanchan Srivastava	8853989342	kanchan.srivastava@icicibank.com
70	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri S K Saurabh	9839222575	lucknow@ktkbank.com
71	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	No	No Participation			
72	Federal Bank	State Head	NO	Manager	Shri Manish Shukla	8009330022	manishshukla2@federalBank.co.on
73				Area Manager	Shri Issac Kurian	9446113338	issacKurian@federalbank.co.in
74	Kotak Mahindra Bank	State Head	No	No Participation			
75	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	No Participation			
76	Govt. of U.P.	Agriculture Production Commissioner	Yes	Agriculture Production Commissioner	Shri Pradeep Bhatnagar, IAS		
77	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	General Manager	Shri Arup Kumar	9770508754	arupkumar@sidbi.in
78	Revenue Deptt., GoUP	Principal Secretary, GoUP	No	No Participation			
79	Deptt. of Handlooms & Textiles and MSME, GoUP	Principal Secretary, GoUP	No	Dy. Commissioner	Shri K P Verma	9415268129	dhtup@rediffmail.com
80	Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No	Project Director	Shri I P Kanojia	8573002205	ipksuda@gmail.com
81				SMM NULM UP	Ms. Seemmi Omair	9792201579	seemmiio@rediffmail.com
82	SSI & Export Promotion	Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Shri Akhilesh Kumar, IAS	9415214239	akhileshojha58@gmail.com
83	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	No Participation			
84	Directorate of Industries, Kanpur	Commissioner & Director, GoUP	No	Dy. Director	Shri Yogesh Kumar	9415472626	diup123@radifmail.com
85				Asstt. Director	Shri Jagadish Sahu	9453127545	jsahumsme@gmail.com
86	Rural Development	Principal Secretary, GoUP	No	Dy. Commissioner	Shri M Lal	9473626762	
87	UPSRLM	Mission Director	Yes	Joint Director	Shri Jai Prakash Pandey	9415368040	
88				State Project Manager	Shri Om Prakash Chaturvedi	8176880399	upsrlm.pmmf@gmail.com

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
89	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	No	Senior Coordinator	Dr. Suman Srivastava	0522-4026354	
90				Joint Director	Shri Atul Kr. Chauhan	0522-2624615	
91	UPSC Finance Corporation	Managing Director	No	C.F.O.	Shri R K Shukla		
92	Directorate of Agriculture	Director	Yes	Director (Agriculture)	Shri Gyan Singh	9235629301	
93				Director (Statistics)	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305	agristatup@gmail.com
94				J.D.A. Engg.	Shri Anil Kumar Dixit	9235629325	
95	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	Yes	State Director	Shri R S Pandey	9454364925	kvic.lko2011@gmail.com
96				Asstt. Director-II	Shri Ashutosh Kr. Singh	9415463417	
97				Superintendent	Shri Subodh Kumar	9415463217	
98				Asstt. Dev. Officer	Shri Manjul Dixit	8563959240	manjul.dixit123@gmail.com
99	National Horticulture Board	Director	No	No Participation			
100	National Commission for SCs, GoI	Director	No	No Participation			
101	UP Minotiry Finance Dev. Corpn.	Managing Director	No	No Participation			
102	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	Yes	Dy. CEO	Shri H R Singh	7408410716	upkvibpmegp@gmail.com
103	UP Bhoomi Sudhar Nigam	Managing Director	No	Joint Managing Director	Dr. B P Singh	9450334778	drbpsingh_agri@yahoo.in
104	Police Headquarter	Director General	No	S P (Crime)	Shri Rakesh Shankar	9454401146	rakesh.shankar2009@gmail.com
105	National Housing Bank	Regional Manager/DGM	No	Asstt. Gen. Manager	Shri Mohit Kaul	9717691294	mohit.kaul@nhb.org.in
106	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Director	Shri Ramendra Kushwaha	8765757197	ramendrakushwaha89@gmail.com
107				Sr. Executive	Shri Dinesh Chandra	9839273858	dk1857@gmail.com
108	HUDCO	Dy. Gen. Manager	Yes	Dy. Gen. Manager	Shri R K Srivastava	9450932215	rajeshkr66@gmail.com
109				Asstt. Gen. Manager	Shri M K Pandey	9453006589	hudcolucknow@gmail.com
110	RSETI, MoRD	State Project Co-ordinator	Yes	State Director	Shri M. Minhajuddin	9450390877	mcspc.minhajuddin@gmail.com
111	LIC of India	Regional Manager	No	Sr. Branch Manager	Shri H S Sachdeva	9411451641	hssachdeva@licofindia
112	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No	Asstt. Manager	Shri Nagendra Kumar	7376506976	nagendra.kumar@orientalinsurance.co.in
113				Asstt. Manager	Shri Dinesh Khare	9198003264	dinesh.khare@orientalinsurance.co.in
114	National Insurance Co.Ltd.	Dy. Manager	No	Manager	Shri Ashok Kumar Singh	7704900108	ashokk.singh@nic.co.in
115	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri Anupam Das	9519252252	anupamd@aicofindia.com
116				Asstt. Manager	Shri Prashant Kumar	9450101902	ro.lucknow@aicofindia.com
	Special Invitee						
117	Directorate of Census Operations	Dy. Director	Yes	Dy. Director	Shri Suresh Chandra	9935044868	
118	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Asstt. Director General	Shri Nitish Sinha	9451111011	nitish.sinha@uidai.net.in
119	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	Yes	Principal Secretary	Shri P K Mohanty, IAS	8853226633	pkmohanti2006@gmail.com
120				Director (Adm)	Dr. Rajesh B Varshney	9415071397	rvarshney@gmail.com
121	BSNL			Add. Dire. Telecom	Shri S B Gupta	8005495959	sbgupta1959@yahoo.in
122	Bank of Baroda			Dy. Gen. Manager	Shri A K Singh	0522-6677704	
123				Dy. Gen. Manager(LR)	Shri Pradeep Srivastava		
124				Asstt.Gen. Manager(SLBC)	Shri Rajeev Srivastava	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
125				Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	slbc.up@bankofbaroda.com
126				Manager	Shri R K Agrawal	9415182483	
127				Manager	Shri G M Dayal	0522-6677730	ps.upu@bankofbaroda.com
128				Manager	Shri M N Srivastava	0522-6677725	slbc.up@bankofbaroda.com
129				Manager	Shri Raj Kumar Jaiswal	0522-6677694	fi.upu@bankofbaroda.com
130				Officer	Shri Ayush	0522-6677725	cfip.upu@bankofbaroda.com
131				SWO-A	Shri Arun Agarwal	0522-6677725	
132				SWO-A	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
133				SWO-A	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	